GST Hindi Update on Faceless Assessment of Customs

Transparency और ease of doing बिज़नेस के लिए कस्टम department ने सोमवार को देशव्यापी consignments का faceless assessment का पहला चरण पूरा करेगा।प्रणाली के तहत , consignments का मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा जिस पोर्ट पर जाकर करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

इस प्रक्रिया का पहला चरण चेन्नई और बेंगलुरु में शुरू होगा।यह वस्तुओं के एक विशिष्ट सेट को कवर करेगा और सरकार ने यह तय किया है की इस साल के अंत तक यानि दिसंबर -2020 इस facility को पूरे भारत में विस्तारित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के आरम्भ के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक circular no 28/2020 dated 05-06-2020 issue किया है। बोर्ड ने अगल अलग चरणों में faceless assessment शुरू करने का निर्णय लिया है। CBIC द्वारा issue किये गए circular में यह लिखा है की पहला चरण 8 जून, 2020 से शुरू होगा और इसमें मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम , 1975 द्वारा कवर किए गए chapter 84 और 85 में जो वस्तुएआयात की गयी है अभी सिर्फ उन वस्तुओं के लिए यह facility बेंगलुरु और चेन्नई में शुरू होगी।

आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दे की Custom tariff act के chapter 84 और 85 में में विद्युत मशीनरी, बॉयलर, परमाणु रिएक्टर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों सहित और भी कई आइटम शामिल हैं।

रोल आउट का पहला चरण, केवल बेंगलुरु और चेन्नई Custom Zones के inter-linking पर लागू होगा।सीबीआईसीने आगे कहा की 31 दिसंबर, 2020 तक faceless assessment पुरे भारत में लागु हो जायेगा।

CBIC द्वारा लिया गया यह कद म मूल्यांकन में पारदर्शिता लाएगा और मूल्यांकनअधिकारीऔर आयातक के बीच physical interface में कटौती करेगा।इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।यह देशभर के assessments में एकरूपता सुनिश्चितकरेगाऔर sector specific approach and functional specialisation को बढ़ावा देगा, जो लेन देन लागत और व्यापार में अनिश्चितता को कम करने में मदद करेगा।

इस विषय में कुछ विशेषघ्यों का मानना है की यह "faceless assessment " एक दोहरी धार वाली तलवार है।जबकि एक ओर यह physical interface और पूर्वाग्रह को काट देता है , तो दूसरी और इस प्रकिया द्वारा faceless assessment groups (FAG) के लिए केवल दस्तावेजों के आधार पर classification की बारीकियों को समझना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिना आयातक के clarification के इसको समझना काफी मुश्किल हो जाताहै।

जबकी कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है की नए दौर के faceless assessment लंबे समय में bias-free गुणवत्ता को बढ़ावा देंगे , हालांकि शुरुआती कुछ महीनों में शुरुआती मुद्दे होंगे।पर धीरे धीरे यह परिस्तिथि संभल जाएगी। इस कदम से विश्व बैंक की Ease of Doing Business index में भारत की रैंकिंग को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

Faceless assessment CBIC द्वारा शुरू किये गए "तुरंत कस्टम्स" नामक सुधारों की कड़ी का हिस्सा है , जिसमें intelligent e-Sanchit और Machine Release के माध्यम से पेपर लेस काम किया जा सकता है। इसके कारण Custom के या किसी भी स्तर पर अधि कारी के इंटरफ़ेस के बिना आसानी से automated clearance की जा सकती है।

बेंगलुरु और चेन्नई ज़ोन में रोल-आउट के लिए, principal chief commissioner/chief commissioner को faceless assessment group, port assessment groups or turant suvidha kendras को लगाने के लिए कहा गया है।

National Assessment Commissionerates अनिवार्य रूप से 'Virtual Commissionerates' होंगे जिसमें अधिकारी physically co-located, नहीं होंगे बल्कि virtually connected होंगे।प्रत्येक NAC में एक all India jurisdiction होगा और इसमें "फेसलेस असेसमेंट ग्रुप्स" (एफएजी) का एक समूह शामिल होगा, जिन्हें भारत में किसी भी Custom Location से संबंधित assessment करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

सरकार द्वारा लिया गया यह कदम सराहनीय है और इसके द्वारा कस्टमअधिकारीऔर व्यापारिओं के बीच physical interface काम होगा जिससे भ्रस्टाचार में कमी आएगी और ease of doing machine को बढ़ावा मिलेगा।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.